(२४)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1414–तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 10–04–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार निवाडी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 67/ए–6/2008–09.

1–महिला हेमलता यादव पत्नी स्व0श्री हाकिमसिंह यादव,
2–हर्षित यादव(अवयस्क) पुत्र स्व.श्री हाकिम सिंह यादव
संरक्षक मॉ हेमलता यादव
दोनों निवासी ग्राम नौरा तहसील निवाड़ी
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह यादव,
निवासी प्रतापपुरा नगरा थाना प्रेमनगर जिला झॉसी उ0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–04–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मुडारा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 9 रकवा 0.142 हैक्टर का 1/4 हिस रकवा 0.035 हैक्टर पर नामान्तरण कराये जाने हेतु आवेदन पत्र अनावेदक द्वारा तहसीलदार निवाडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनावेदक द्वारा नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत करने के बाद स्वयं ही न्यायालय में नहीं हुआ था और ऐसी स्थिति में उसकी अनुपस्थिति के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–09 से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जिसको पुनः नम्बर पर कायम करने हेतु अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 15–7–09 को प्रस्तुत किया जो तहसीलदार द्वारा

मान्य किया गया । तहसीलदार निवाडी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के समक्ष प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 27/2009–10 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 19–1–2011 से निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–1–11 के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 286/अ–6/2010–11 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 19–12–2011 से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह उभयपक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर विधि अनुसार प्रकरण का निराकरण करें । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रत्यावर्तन आदेश के पश्चात् तहसीलदार निवाडी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक की ओर से आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की कि अनावेदक की ओर से जो आवेदन पत्र धारा 35(3) का प्रकरण को पुनःस्थापन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया वह स्पष्टता अवधि बाह्य है जिसको तहसीलदार द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक 10–4–2014 से विलम्ब को सद्भाविक मानकर क्षमा किया व प्रकरण में नामान्तरण संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–04–2014 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत् विचार नहीं किया है । विचारण न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2011 में दिये गये निर्देशों का पालन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह गलत है । वरिष्ठ न्यायालय के आदेश अक्षरशः पालन किया जाना विचारण न्यायालय का वैधानिक कर्त्तव्य है । प्रत्यावर्तित आदेश विचारण न्यायालय पर बंधनकारी है जिसका पालन विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया । लिखित तर्क में बताया कि अनावेदक की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जो आवेदनपत्र नामान्तरण के संबंध में तथा कथित विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया है वह विक्रय पत्र फर्जी है । इसके अलावा अनावेदक स्वयं उपस्थित नहीं हुआ तो प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने के उपरांत अनावेदक द्वारा धारा 35(3) का पुनःस्थापन आवेदन अवधि बाह्य होने के बाद भी तहसील न्यायालय द्वारा बिना विलम्ब का समुचित कारण के विलम्ब क्षमा किया गया है जो उचित

नहीं है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10–4–14 को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में यही कहा कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 35(3) पर न्यायालय नरम रूख अपनाकर विचारण न्यायालय द्वारा न्यायहित में अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर गुणदोष पर निराकरण करने हेतु अनावेदक का पुनःस्थापन आवेदन को स्वीकार कर विधिवत् आदेश पारित किया है । तर्क में यह भी उल्लेख किया कि विचारण न्यायालय द्वारा माननीय अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में ही उभयपक्षों को सुनकर अभिलेख के अनुसार न्यायहित में अनावेदक का आवेदन स्वीकार किया है, वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है । कानूनन नामान्तरण आवेदन को अदम पैरवी में खारिज न कर गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये । लिखित तर्क में यह भी बताया कि आवेदिका द्वारा विवादित भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अनावेदक को विक्रय की गई है इसलिये आवेदिका को विवादित भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं रहा है । आवेदिका को अनावेदक के हित में किये गये विक्रय पत्र में कोई आपत्ति है तो उसे सिविल न्यायालय में जाना चाहिये राजस्व न्यायालय विक्रय पत्र की वैधता की जॉच नहीं कर सकता । आवेदिका जानबूझकर प्रकरण का गुणदोषों पर निराकरण नहीं होने देना चाहती है, अनावश्यक रूप से प्रकरण को विलंबित कर रही है । अंत में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही व अंतरिम आदेश दिनांक 10–4–14 विधिसम्मत् होने से उसे स्थिर रखा जाकर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया । प्रकरण में आवेदक द्वारा गुणदोषों के संबंध में तर्क तो पेश किये जा रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वह गुणदोषों पर निर्णय से बच रहे हैं इसलिये धारा 35(3) के संबंध में विभिन्न स्तरों पर न्यायालयीन कार्यवाही कर रहे हैं । तहसील न्यायालय द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के निर्देश के उपरांत उभयपक्षों को सुनने के बाद ही अनावेदक का धारा 35(3) का आवेदन स्वीकार किया है । जितना विलम्ब अनावेदक ने धारा 35(3) के आवेदन

को देने में किया उससे ज्यादा विलम्ब इस संबंध में निर्णय लेने में लग गया है जिससे प्रकरण का निराकरण होने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है । धारा 35(3) पर अनावेदक का शपथ–पत्र न मानने के पर्याप्त आधार आवेदक द्वारा चिन्हित नहीं किए गए है । अतः इस सम्बन्ध में तहसील द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप के आधार न होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर